



**THE**  
**JHARKHAND GAZETTE**  
**EXTRAORDINARY**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 794

**3 Kartik, 1938 (S)**  
**Ranchi, Wednesday, 25<sup>th</sup> October, 2017**

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----  
NOTIFICATION

24<sup>th</sup> October, 2017

**S.O. No.- 114 Dated - 25<sup>th</sup> October, 2017--** In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with notification S.O No.94/2017-State Tax, dated the 18<sup>th</sup> October 2017, published in the Jharkhand Gazette , the State Government hereby notifies the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely:-

Table

S.No.	Evidence
(1)	(2)
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.

2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

2. This notification shall be deemed to be effective from 18<sup>th</sup> October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]  
By the order of the Governor of Jharkhand

**K. K. Khandelwal,**  
Principal Secretary-cum Commissioner

-----

## वाणिज्य-कर विभाग

### अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2017

एस० ओ०-114 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017-- झारखण्ड सरकार, द्वारा झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. एस० ओ० 94 /2017 -राज्य कर तारीख 18 अक्टूबर 2017 के साथ पठित झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रूप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

### सारणी

क्रम सं.	साक्ष्य
(1)	(2)
1	यथास्थिति, अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक का अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्राप्तिकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक जिसके अधीन ऐसी पूर्तियां पूर्तिकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, की एक प्रति ।
2	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है ।
3	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा ।

2. यह अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।